कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः न.नि.उ./2024–25/276 दिनांकः 27.03.2025

आम सूचना

श्रीमान् निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.10/(न.पा) (गठन) डी.एल.बी/24/301/ दिनांक 26/12/2024 की अनुपालना मे नगर निगम उदयपुर की वर्तमान सीमा क्षेत्र मे सम्मिलित नये ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्रों का वार्डो का परिसीमांकन के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 1624 दिनांक 13.02.2025 के तहत् निम्नांकित नवगठित वार्डो के सीमाकन के संबंध मे पुनः नये सिरे से आपत्ति आमंत्रण की जाती हैः–

क्र.स.	नगर पालिका का नाम	पूर्व में गठित वार्डों की संख्या	वर्तमान नवगठित वार्डों की संख्या
1.	नगर निगम उदयपुर	70	80

उपरोक्त तालिका के अनुरूप नगर निगम द्वारा वार्डों का सीमाकंन प्रस्ताव तैयार किया जाकर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जा रहे है। वार्ड सीमाकंन प्रस्ताव कार्यालय नगर निगम उदयपुर वेबसाईट www.udaipurmc.org पर एवं कार्यालय नगर निगम उदयपुर के कार्य दिवस मे नगर निगम, उदयपुर के मिनी मीटिंग हॉल कमरा नम्बर–21 एवं जिला कलक्टर कार्यालय उदयपुर के कमरा नम्बर–251 में व्यक्तिशः उपस्थित होकर वार्ड सीमाकंन का अवलोकन किया जा सकता है। उक्त संबंध मे जिस किसी भी व्यक्ति को वार्डो के परिसीमाकंन के संबंध मे कोई आपत्ति है, तो वह दिनांक 17/04/2025 तक अपनी आपत्ति लिखित रूप मे अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं आयुक्त नगर निगम उदयपुर को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त दिनांक के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रतिलिपिः

1. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना राज्य स्तरीय मुख्य **राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर** समाचार पत्र उदयपुर संस्करण मे प्रकाशित करवाने का श्रम करावे।
2. अधीशाषी अभियन्ता विद्युत नगर निगम उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना निगम वेबसाईट www.udaipurmc.org पर अपलोड करावें।
3. कार्यालय अधीक्षक नगर निगम उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना नगर निगम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवायें।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर